

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024

### अधिसूचना

बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 12 की उप-धारा (2) के खंड (ख) (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद में, श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा, पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) के कार्यकाल को दिनांक 4.1.2024 से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

(फा.सं. ए-11011/04/2022-बीमा-1)



(विनोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार